

# बैतूल भास्कर

बुधवार 21 अक्टूबर, 2015

मुलताई ■ सारनी ■ आमला

पाथाखेड़ा ■ बगडोना ■ भैंसदेही

कार्यशाला


साइबर सेल आईजी ने वीवीएम कॉलेज के छात्र-छात्राओं को बताया कैसे होता है साइबर क्राइम, इससे बचने के लिए किया सतर्क

## आईजी ने पूछा-क्या होते हैं फुट प्रिंट, छात्राएं कुछ नहीं बोली

भास्कर संवाददाता | बैतूल

देश में बढ़ते साइबर क्राइम के संबंध में कॉलेज के छात्र-छात्राओं को अवगत कराने के लिए मंगलवार को शहर के वीवीएम कॉलेज में साइबर सेक्रेटरी कैपेन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में इंदौर से आए साइबर सेल आईजी एवं दूरसंचार ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर वरुण कपूर ने प्रोजेक्टर के माध्यम से साइबर क्राइम की जानकारी दी। इस दौरान सवाल-जवाब में आईजी ने छात्राओं से डिजिटल फुट प्रिंट, जीपीएस टेक्नालॉजी के बारे में पूछा। कुछ छात्राओं ने जवाब तो दिए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद श्री कपूर ने उन्हें इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। श्री कपूर ने बताया आम अपराध में अपराधी बच सकता है, लेकिन साइबर क्राइम करके बचा नहीं जा सकता।

कार्यशाला में आईजी ने छात्र-छात्राओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से सिलसिलेवार साइबर



आईजी वरुण कपूर ने छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम की जानकारी देकर सवाल पूछे।

क्राइम की जानकारी दी। कपूर ने बताया कि आज सोशल नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा फेसबुक का इस्तेमाल होता है। फेसबुक लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके

माध्यम से भी आज क्राइम बढ़ गया है। लोग फेसबुक में एक दूसरे को जाने बिना, दूसरे से जुड़ जाते हैं। फेसबुक में एक दूसरे की टिप्पणी करने में भी क्राइम होता है।

छात्र-छात्राओं से किए  
सवाल-जवाब

नष्ट नहीं किए जा  
सकते सुराग

कार्यशाला में आईजी श्री कपूर ने छात्र-छात्राओं से सवाल-जवाब भी किए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, डिजिटल फुटप्रिंट, जीपीएस टेक्नालॉजी सहित अन्य जानकारी भी पूछी। इस दौरान कुछ छात्राओं के सटीक जवाब भी दिए तो कुछ जवाब नहीं दें पाए। उन्होंने छात्र-छात्राओं को बताया कि जान-बूझकर ऐसा कोई काम नहीं करें, जो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। इस दौरान छात्रों ने भी उनसे कुछ सवाल किए। श्री कपूर ने छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देकर उससे बचने एवं अपराधियों से सचेत रहने की भी सलाह दी।

श्री कपूर ने बताया कि आम अपराध करके एक बार अपराधी बच सकता है, लेकिन साइबर क्राइम करके वह बच नहीं सकता है। अपराध करने वाला कोई ना कोई अपराधी सबूत छोड़कर नहीं जाता है। साइबर क्राइम में इंटरनेट व सोशल साइट से जो भी अपराध करेगा वह अपना डाटा डिलीट करने के बाद भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि यह डाटा हार्डीडिस्क में चला जाता है। इसे फॉर्मेट करने के बाद भी रिकवर कर उसका पता लगाया जा सकता है। यहां तक की हार्डीडिस्क पानी में डालने व तोड़ने के बाद भी अपराध छिप नहीं सकता।